

23/10/24 -

पत्रावली चेरा हर्ड | वाकी भा. डी. 0390
प्रकटा शाब्दिक आवेश में दिनांक -
20/11/25 को विषय

20/11/25

पत्रावली चेरा हर्ड | वाकीगण एवं वादी
आदी. अनुपादिला | वादीगण एवं वादी
आदीवक्ता को नियमावलीगत तीन बार
आवाजे लगवाई गई, जानु कोई उपस्थित
नहीं आया | वादीगण एवं वादी आदीवक्ता
को अपादिति में पुनः एक बार आवाज और
आवाज लगवाई गई, जानु कोई उपस्थित
नहीं आया | समय 5-54 PM हो चुका है |
वादीगण एवं वादी आदीवक्ता के उपस्थित
नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा शकस्थान
कार्यकारी आदीविषय की धारा - 53 के अन्तर्गत
उद्भूत वाद को अदम टायरी - अदम पानी
में जारी किया जाता है | निर्दिष्ट सारे रजलास
सुनाया गया | रिक्ति पचाई जारी है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर
गाबल दफ्तार हो तदा अम्बर से कक हो |

20/11/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. महावीर सिंह पिता करतार सिंह राजपूत निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सोरम कंवर पुत्री करतार सिंह राजपूत निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. किस्मत कंवर पुत्री करतार सिंह राजपूत निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सायरकंवर पत्नी करतार सिंह राजपूत निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. चन्द्र सिंह पिता नृपतसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. पुष्कर सिंह पिता नृपतसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. गजराज सिंह पिता डुंगर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी समेलिया तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. नजराज सिंह डुंगर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी समेलिया तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
3. भवर कंवर पत्नी डुंगर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी समेलिया तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
4. गुडडी कंवर पुत्री डुंगर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी कालिवास तह0 देलवाड़ा जिला उदयपुर
5. कैलाश कंवर पुत्री डुंगर सिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा हाल निवासी समेलिया तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या 43/2019 राजस्व वाद

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता श्री किशन लाल कुमावत अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 20.01.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा